

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./उपकरण/2018/46


दिनांक 7/5/18

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- अनुपयोगी व अनस्टाल वेन्टीलेटर को स्थानान्तरित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई संस्थानों पर वेन्टीलेटर अनुपयोगी व अनस्टाल रखे हुए हैं यदि संस्थानों पर आवश्यकता हो तो अविलम्ब इन्स्टॉल करवाकर उपयोग में लेना प्रारंभ करें तथा सरप्लस है तो निदेशालय की ईमेल <addtiha@gmail.com>पर दिनांक 10.05.18 तक सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें यदि किसी संस्थानों को वेन्टीलेटर की आवश्यकता है तो उसकी सूचना भी निदेशालय को प्रेषित करें ताकि अन्य स्थान से वेन्टीलेटर उपलब्ध करवाये जा सकें।

उक्त दिनांक 10.05.18 तक सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि संस्थानों पर रखे हुए वेन्टीलेटर संस्थान पर इन्स्टॉल किये जा चुके हैं व उनको उपयोग में लिया जा रहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।




निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./उपकरण/2018/46

दिनांक 7/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को बेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर